संचिका संख्या– 16 गोशाला विकास/2012–84/

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,

बिहार, पटना

प्रेषक,

नर्मदेश्वर लाल, भा०प्र०से०
सचिव।

URGENT
मान्नीय उच्च न्यायालय के अवमाननावाद से संबंधित।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना– 15, दिनांक– 30/03/2015.

विषय :– **बिहार गोशाला अधिनियम 1950 के तहत निबंधित गोशालाओं की परिसम्पतियों/अवैध दखल हटाने के संबंध में।**

प्रसंग :– **माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष विचाराधीन अवमाननावाद संख्या एम०जे०सी० 590/2014 में विभिन्न पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।**

स्मार पत्र
पत्रांक–15 दिनांक 17.01.2015,
पत्रांक–18 दिनांक 27.01.2015,
पत्रांक–21 दिनांक 30.01.2015,
पत्रांक–29 दिनांक 06.02.2015,
पत्रांक–30 दिनांक 06.02.2015,
पत्रांक–31 दिनांक 06.02.2015,
पत्रांक–48 दिनांक 21.02.2015 तथा
पत्रांक–69 दिनांक 12.03.2015।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र द्वारा दिए गये निदेश के आलोक में कहना है कि मान्नीय उच्च न्यायालय पटना में दायर अवमाननावाद संख्या– 590/2014 विकास चन्द्र गुड्डू बाबा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से आप अवगत हैं। दिनांक 23.01.2015 को मान्नीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया था कि गोशालाओं की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाय तथा जिस मामले में स्थगन आदेश है उसे अधिकतम एक माह के भीतर स्थगन आदेश को समाप्त कराने की कार्रवाई की जाय तथा विधि सम्मत रूप से अतिक्रमण हटाया जाय। मान्नीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर पुनः दिनांक 18.02.2015 को इस संबंध में संज्ञान लिया गया। उल्लेखनीय है कि सभी जिला पदाधिकारी से पत्रांक–48 दिनांक 21.02.2015 द्वारा पृथक रूप से कंडिकावार गोशालाओं का अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का सुझाव दिया गया था। विदित हो कि विभागीय प्रयासों के बावजूद अब तक अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे अवमाननावाद में सरकार को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ यह भी कहना यथोचित होगा कि इस मामले की सुनवाई मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। संबंधित मामले के संबंध में **दिनांक 25.02.2015 को मुख्य सचिव, बिहार के विडियों क्रॉन्फ्रेंसिंग** द्वारा भी आपको सभी तथ्यों से अवगत करा दिया गया है।

दिनांक 24.03.2015 को श्री विकास चन्द्र गुड्डू बाबा द्वारा एक पूरक शपथ पत्र मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि जो भूमि का व्योरा सरकार कि ओर मान्नीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है वह वास्तविक गोशाला भूमि से भिन्न है। अतः पुनः अधिनस्थ अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, गोशाला को निदेशित करना चाहेगें कि एक सप्ताह

के अन्दर समुचित कार्रवाई करते हुए अतिक्रमित भूमि को मुक्त करने के साथ ही गोशाला के वास्तविक भूमि का व्योरा पूर्व में दिए प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी के ई–मेल secyahd-bih@nic.in के माध्यम से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

जिला पदाधिकारी, मधुबनी एवं पूर्णियां द्वारा सुचित किया गया है कि श्री भवानीपुर गोशाला, भवानीपुर (मधुबनी) एवं श्री अमोल गोशाला, सलेमपुर (पूर्णियां) उनके जिले में अवस्थित नहीं है। प्रमण्डलीय आयुक्त दरभंगा एवं पूर्णियां उपरोक्त गोशालाओं की वर्त्तमान स्थिति की समीक्षा करना चाहेंगे, क्योंकि गोशाला रजिस्टर में उक्त गोशालाओं का नाम एवं जिला अंकित है।

अतः उपरोक्त अवमाननावाद में समयवद्ध एवं ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है जिसे मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष समर्पित किया जा सके। (सुलभ संदर्भ हेतु सभी संबंधित पत्र विभागीय बेवसाइट पर भी उपलब्ध है)

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

सचिव,

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक –16 गोशाला विकास/2012– 84 /पटना– 15, दिनांक– 30/03/2015.

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/3/2015

सचिव,